

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारागढ़ (जमपुर)
 रामपाल बनाम लालाराम वगै
 : 79 / 2019

नांक आज्ञा कार्यवाही : आज्ञा विस्तृत रूप से विशेष विवरण

23/1/19 वादी रामपाल द्वारा प्राथम
 नव विद्या का पेज होने पर
 पत्राली द्वारा पेज हुआ वादी
 की पहचान उनके अधिकार
 या रजिस्ट्रार शान्त न की
 प्रस्तुत प्राथम पत्र में डिक्ले
 किया कि प्रकरण में दोनों पक्षों
 के बीच दिनांक 02/12/15 को
 राजीनामा हो चुका है और
 वाद को आगे चलाना नही
 चाहते है इसीलिए प्राथम
 पत्र को खीसा कर वाद को
 खारिज किया जाके
 हर्षत प्रस्तुत प्राथम पत्र
 व पत्राली को डिक्ले कर
 वादी को सुनाने के उपरान्त
 प्रस्तुत प्राथम पत्र विद्या को
 स्वीकार किया जाता है तथा
 वाद को विद्या कानून की खीकरी
 प्रदान की जाती है एवं वाद को
 खारिज किया जाता है
 पत्राली फॉसल सुनान
 होकर नमदर से काठ हो
 वाद को खारिज रखते है

(विश्वामित्र मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 जमवारागढ़

रामपाल
 23/1/19

